न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 04/2018

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर		1. जसवन्तसिंह चौहान पुत्र श्री पन्नेसिंह उम्र 23 वर्ष, **(एफबीओ)** फर्म मैसर्स डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, विलेज पोस्ट–ताम्बड़िया कला, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर निवासी ग्राम गादेरी, पोस्ट उस्तरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर 2. गोपालसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह **(मालिक/निर्माता)** फर्म मैसर्स डाईमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, विलेज पो0 ताम्बड़िया कला, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर निवासी 66 नायको की ढाणिया विलेज पोस्ट ताम्बड़िया कलां, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थिति:–
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह भाटी उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांक 21.02.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 25..11.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग पुलिस थाना करवड़ जिला जोधपुर के दूरभाष पर सूचना पर उनके दल के साथ मैसर्स डाईमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, विलेज पोस्ट ताम्बड़िया कला, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर विक्रेता की हैसियत से श्री जसवंत सिंह चौहान पुत्र श्री पन्नेसिंह उम्र 23 वर्ष, निवासी गादेरी, पोस्ट उस्तरा, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो आम जनता को उपयोग हेतु **वनस्पति** एवं अन्य वनस्पति निर्माण वास्ते आम जनता को विक्रय करते हुए पाये गये। मालिक एवं विक्रेता से वर्ष 2017 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा तो उन्होने वेट–03 प्रमाण पत्र डाईमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, एफएसएसए लाईसेन्स 495, जसवन्तसिंह चौहान का आधार कार्ड, गोपालसिंह का निर्वाचन कार्ड, आधार एवं वाहन अनुज्ञप्ति पेश जिसके अनुसार उक्त फर्म का मालिक श्री गोपालसिंह होना बताया। फैक्ट्री का निरीक्षण करने पर परिसर में एक हॉल में स्टोरेज टैंक (क्षमता 15 क्विंटल) में **वनस्पति** करीबन 75 किलोग्राम 15 किलोग्राम टिनो में भरकर आम जनता को वास्ते विक्रय था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ.एस.एस.एक्ट के तहत कराने हेतु रूबरू गवाह श्री मनोहरसिंह पुत्र श्री कानसिंह निवासी ताम्बड़िया कलां तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर एवं मेरे साथ गये श्री गोविन्दसिंह पुत्र श्री स्व.गायड़सिंह हाल एच सी 1516 पुलिस थाना करवड़ जिला जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को उनके बताये गये बाजार भाव से रूपये 400/–

नगद देकर **वनस्पति 1600 ग्राम** टैंक में लगे वाल्व से वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **वनस्पति 1600 ग्राम** को हिला मिलाकर एक रूप कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की नमूना बोटल्स में 400 ग्राम भरकर एयर टाईट ढक्कन लगाकर इन हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एम-1677** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारो नमूनों को अलग-अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम-1677** हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें गोलाई में गोंद से चिपकाई गयी एंव चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **एम-1677** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की तथा मौका फर्द पर स्वयं गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 27.11.2017 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में **एम 1677** की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/1174/एक्ट/2017/1173 दिनांक 06.12.2017 अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **वनस्पति** का नमूना Baudin test.Negative होने के कारण निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण **अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform)** होना पाया गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के साथ अभिहित अधिकारी का प्राधिकृत पत्र, गजट नोटिफिकेशन, संशोधित नोटिफिकेशन, पदस्थापना आदेश कार्यक्षेत्र की प्रति, कार्य क्षेत्र की अधिसूचना, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद व वेट-03 प्रमाण पत्र डाईमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, एफएसएसए लाईसेन्स 495, जसवंतसिंह का आधार कार्ड, गोपालसिंह का निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड व वाहन अनुज्ञप्ति, मौका फर्द, नमूना संख्या एम-1677 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद (प्रारूप VI के पीछे), नमूना संख्या एम-1677 के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सिल्ड भाग की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी को जमा जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 34989-91 मय रजि0 रसीदे-2, जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस/1174/एक्ट/2017/1173, न्याय निर्णयन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को लिखा पत्र प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 03.04.18 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होने बताया कि प्रार्थी द्वारा वनस्पति ब्राण्ड के माल की जांच में अमानक स्तर होने का कथन किया गया है उससे अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में कार्यवाही मनमाने ढंग एवं द्वेषपूर्ण भावना से की गई है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राहक की कोई शिकायत नहीं है एवं माल की गुणवता की जांच प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने स्तर पर मात्र खानापूर्ति करके प्रकरण दर्ज किया है जो कि विस्तृत जांच एवं साक्ष्य का विषय है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में कोई शिकायत या प्रकरण दर्ज नहीं है। अप्रार्थीगण की फर्म मैसर्स डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी ताम्बड़िया कलां जिला जोधपुर द्वारा जो भी उत्पाद बनाये जाते है उसका फूड लाईसेन्स, ट्रेड मार्क एवं ब्राण्ड अधिकार है। अप्रार्थीगण द्वारा मिलावटी माल तैयार नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा मात्र नमूना खरीद बिल दिनांक 25.11.2017 के आधार पर पक्षकार सयोजित किया है जबकि उक्त बिल के द्वारा जो भी माल अप्रार्थीगण के द्वारा बेचान किया गया था वह सही एवं उच्च गुणवता वाला था। उक्त उत्पादन अप्रार्थीगण की फर्म से निर्मित एवं उत्पादित नहीं है। अप्रार्थीगण की फर्म से बेचा गया माल पूर्ण गुणवता वाला है एवं माल के बारे में ग्राहकों की कोई शिकायत नहीं है। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी पक्ष की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 पर अत्यधिक दबाव देकर हस्ताक्षर करवाये गये जबकि उपरोक्त के संबंध में उसकी कोई सहमति नहीं थी तथा न ही उसके द्वारा किसी विधि के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी की ओर से तथ्यों को बढा चढाकर एवं तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है तथा खाद्य पदार्थ वनस्पति अमानक स्तर का बताया गया है वह पूर्णरूप से गलत एवं निराधार है जिसे अप्रार्थीगण अस्वीकार करते है। खाद्य पदार्थ की जांच अप्रार्थीगण की मौजूदगी में नहीं करवाकर समस्त कार्यवाही एक पक्षीय की गयी है। अत: अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने एवं प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने पर धारा 51 के तहत दोषी है। अत: अप्रार्थीगण पर शास्ति रूपये **25,000/- (अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र)** आरोपित की जाती है, अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 21.02.2019 के एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 21.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर